



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक: CS/20-21/16

दिनांक:

निविदा प्रपत्र

संस्थान में वर्ष 2021-22 के लिये स्टेशनरी सामग्री क्रय किये जाने हेतु सामग्री की मूल निर्माता कंपनी/ अधिकृत वितरकों/विक्रेताओं/प्रदायकर्ताओं से खुली निविदा के माध्यम से मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। मुहरबंद निविदायें, सहायक कुलसचिव (क्रय) के कार्यालय में कक्ष क्रं. 105 के सम्मुख रखे निविदा बॉक्स में दिनांक 26.02.2021 को मध्याह्न 3:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। मुहरबंद निविदा के साथ ब्याना राशि/ विड सिक्योरिटी का बैंक ड्राफ्ट जो कुलसचिव, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, शक्तिनगर, मेला रोड, ग्वालियर के नाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है। निविदायें दिनांक 26.02.2021 को मध्याह्न 3.30 बजे खोली जावेंगी, जिन निविदाओं के साथ ब्याना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट नहीं होगा, उन निविदाओं पर संस्थान द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

निविदाकार फर्म का नाम एवं पता

:

:

मोबाइल क्रमांक

:

ई-मेल (अनिवार्य)

:

फर्म का पंजीयन क्रमांक

:

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

फर्म का जीएसटीएन क्रमांक (GSTIN)

:

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

(प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य)

धरोहर राशि रुपये 50,000/-

:डी.डी. क्रमांक..... दिनांक.....

:बैंक का नाम -----

शाखा -----

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि/समय

: दिनांक 26/02/2021 समय 03.00 बजे

निविदा खोल जाने का दिनांक/समय

: दिनांक 26/02/2021 समय 03.30 बजे

निविदा खोले जाने का स्थान

: कार्यालय सहायक कुलसचिव (क्रय) कक्ष क्रमांक 105,
प्रशासकीय भवन, ल.रा.शा.शि.सं., ग्वालियर



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

1

दिनांक:

क्रं.	सामग्री का नाम	मात्रा	दर अंकों में (सभी कर सहित)	दर शब्दों में (सभी कर सहित)
01	आलपिन महाराजा 100 ग्राम	200 पैकेट		
02	बालपेन जेटर रेनोल्ड	1000 नग		
03	बालपेन होल्डर (विल्सन)	50 नग		
04	यूनीबॉल पेन - ब्ल्यू-200, रेड-150, ग्रीन-200, ब्लैक-150	550 नग		
05	यूज एण्ड थ्रो पेन (एल्कोज) रेड-1000, ब्ल्यू-5000, ब्लैक-1000	5000 नग		
06	रेनॉल्ड पेन 045 (ब्ल्यू-1000, रेड-1000, ब्लैक-1000)	3000 नग		
07	बोर्ड पिन (हैवी क्वालिटी)	80 पैकेट		
08	व्हाइट फ्ल्यूड पेन	150 नग		
09	व्हाइट फ्ल्यूड कॉरस (तरल)	150 नग		
10	मैग्नेटिक डस्टर	100 नग		
11	सेलो टैप 1/2 इंची	300 नग		
12	सेलो टैप 1 इंची	300 नग		
13	सेलो टैप 2 इंची	200 पैकेट		
14	सेलो टैप 4 इंची	300 नग		
15	सेलो टैप ब्राउन 2 इंची	200 नग		
16	सेलो टैप ब्राउन 4 इंची	200 नग		
17	स्लिप पेड 02 नं. (80 पेज जम्पूदीप)	150 नग		

Contd...2



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

2

दिनांक:

19	स्लिप पेड 04 नं. (80 पेज जम्पूदीप)	150 नग		
20	बोर्ड मीटिंग पेड पतले वाले (30 पेज)	500 नग		
21	सफेद चॉक (जोकर)	250 पैकेट		
22	कलर चॉक (जोकर)	250 पैकेट		
23	मोमबत्ती बड़ी उच्च गुणवत्ता (100 ग्राम प्रति नग)	200 नग		
24	सीलिंग बैक्स सुलेखा/अशोका	50 पैकेट		
25	ब्लैक बोर्ड डस्टर	100 नग		
26	रबर (नटराज)	400 नग		
27	पेन्सिल सादा (अप्सरा)	250 पैकेट		
28	गोंद की शीशी 50 एमएल केमल/कोरस	50 नग		
29	गोंद की शीशी 700 एमएल केमल/कोरस	100 नग		
30	गोंद की शीशी 150 एमएल केमल/कोरस	50 नग		
31	स्टाम्प पेड (अशोक) Size 110 * 70 MM	50 नग		
32	इंक केमलिन 50 एमएल	50 नग		
33	जैम्स क्लिप प्लास्टिक जेम	200 पैकेट		
34	इंक (नम्बरिंग मशीन हेतु)	10 नग		
35	नम्बरिंग मशीन	5 नग		
36	पंचिंग मशीन (सिंगल होल वाली)	500 नग		
37	पंचिंग मशीन (डबल होल वाली) डीपी-600	50 नग		
38	पैकिंग पेपर शार्प ब्रान्ड (खाकी)	200 नग		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

3

दिनांक:

39	पेपर ट्रे प्लास्टिक इन आउट (सैलो) 38 सेमी × 29 सेमी	100 नग		
40	पेन्सिल कटर (शार्पनर)	200 नग		
41	पिन कुशन ओमेगा	200 पैकेट		
42	चाकू (नटराज) (पेपर कटिंग हेतु)	100 नग		
43	पेपर कटर	150 नग		
44	रजिस्टर 02 क्वायर ओरियन्ट पेपर साइज 13 इंच बाई 08 इंच	300 नग		
45	रजिस्टर 04 क्वायर ओरियन्ट पेपर साइज 13 इंच बाई 08 इंच	450 नग		
46	रजिस्टर 08 क्वायर ओरियन्ट पेपर साइज 13 इंच बाई 08 इंच	150 नग		
47	रजिस्टर 12 क्वायर ओरियन्ट पेपर साइज 13 इंच बाई 08 इंच	150 नग		
48	प्यून बुक (50 पेज)	100 नग		
49	स्टेपलर मशीन (10 नं) कंगारू	100 नग		
50	स्टेपलर मशीन (मीडियम) कंगारू	50 नग		
51	स्टेपलर मशीन (बड़ी) कंगारू	50 नग		
52	प्लास्टिक स्केल 12 इंची कैमिल	50 नग		
53	स्टील स्केल 12 इंची	100 नग		
54	टियवन थ्रेड वॉल रोल (धागा)	400 पैकेट		

Contd...4



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

4

दिनांक:

55	स्पंज पोट (ओमेगा)	50 नग		
56	प्लास्टिक फाइल कवर मीटिंग हेतु	1000 नग		
57	कैची 09 (जेम)	100 नग		
58	सूजा प्लास्टिक हैण्डल	100 नग		
59	टेग (छोटे) सफेद	5000 बंच		
60	लेस (बड़े) हरे	3000 बंच		
61	रबर बैंड 500 ग्राम	5 पैकेट		
62	पोस्ट स्टिप स्लिप कलर फलेग डि-स्मार्ट	400 पैकेट		
63	फैबी स्टिक (बड़ी) फैंवीकॉल की 15 ग्राम	200 नग		
64	कोर्ट केस कागज (लीगल साइज) ग्रीन कलर	10 पैकेट		
65	स्केच पेन लक्चर	50 सेट		
66	हाईलाईटर (फेवर कास्टल)	100 सेट		
67	टेलीफोन डायरी	10 नग		
68	पेन्सिल कार्बन कोरस ए-4 साइज	50 पैकेट		
69	फोटो कॉपीयर पेपर ए-3 साइज	50 पैकेट		
70	फोटो कॉपीयर पेपर ए-4 कॉपी पावर	4000 पैकेट		
71	प्लास्टिक डस्टबिन (साइज 10 लीटर) सैलो	100 नग		
72	क्लिप पेड ए-4 साइज	50 नग		
73	कार्ड सीट रंगीन	50 नग		
74	मचिस का पुडा	20 पैकेट		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

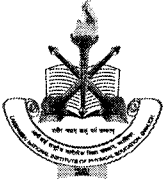
Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

5

दिनांक: Contd...5

75	प्लास्टिक कवर आगे-पीछे (मेल-फीमेल)	30 पैकेट		
76	स्पाइरल वायर (बड़ा) 1/2 इंची	10 किलो		
77	स्पाइरल वायर (बड़ा) 1 इंची	10 किलो		
78	स्पाइरल वायर (बड़ा) 1 ^{1/2} इंची	5 किलो		
79	पैकिंग रिबन कोटन (10 नग प्रति बंडल)	200 बंडल		
80	सी.डी. कवर (10 सीडी के लिये)	20 नग		
81	केलकुलेटर सीटी-555 एन (मीडियम) 12 डिजीटल	100 नग		
82	व्हाइट बोर्ड मार्कर	500 नग		
83	ओ.एच.पी. मार्कर	100 नग		
84	परमानेन्ट मार्कर	100 नग		
85	पेन ड्राइव 16 जीबी (एचपी)	50नग		
86	पेन ड्राइव 32 जीबी (एचपी)	150 नग		
87	पेन ड्राइव 64 जीबी (एचपी)	50 नग		
88	पेन ड्राइव 128 जीबी (एचपी)	30 नग		
89	टेबिल टॉप ऐक्रेलिक शीट	6 नग		
90	शॉर्ट हैण्ड नोट बुक	100 नग		
91	कलर पेपर ए-4 साईज (नीला, पीला, हरा, गुलाबी) 12 पैकेट प्रति कलर	48 पैकेट		
92	डेटर मशीन	6 नग		
93	स्टेपलर पिन छोटी 10 नं. (20 पैकेट प्रति बॉक्स)	50 बॉक्स		



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

6

दिनांक:

94	स्टेपलर पिन बड़ी 24 नं. (20 पैकेट प्रति बॉक्स)	20 बॉक्स		
95	रॉयल बॉन्ड ए-4 पैपर (व्हाइट-50, क्रीम-100) 100 जीएसएम	150 पैकेट		
96	ग्लोसी पेपर ए-4 साईज	50 पैकेट		
97	लेबल पेपर ए-4 साईज	50 पैकेट		
98	एल फोल्डर	20 पैकेट		
99	एक्जुकेटिव फाइल बिग साईज (चैन वाली ब्लैक कलर की)	100 नग		
100	जेल पेन रेनोल्ड्स (मीटिंग हेतु)	1000 नग		

नोट:- 1. सामान जरूरत अनुसार मंगाया जावेगा ।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक:

दिनांक:

/घोषणा//

मेरे /हमारे द्वारा निविदा के परिशिष्ट "अ" तथा परिशिष्ट "ब" एवं अन्य दस्तावेज में वर्णित समस्त तथ्य, संलग्नक सत्य व सही है एवं इसमें निविदा में वर्णित समस्त नियम, शर्तों एवं विनिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया गया है। मेरे /हमारे द्वारा हर स्थिति में इनका अनुपालन किये जाने की घोषणा की जाती है।

मेरे/हमारे द्वारा घोषित किया जाता है कि हमारी कम्पनी/ फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तुत तथ्य मेरी /हमारी जानकारी के अनुसार सत्य व सही है एवं किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है और न ही कोई तथ्य गलत है।

मैं/हम यह सहमति देते हैं/देता हूँ कि संस्थान की निविदा समिति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा तथा हमारी कम्पनी/फर्म को मान्य होगा।

मैं/हम इस प्रपत्र के कॉलम चार एवं पाँच में भरी गई आइटमों की दरें स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। शब्दों व अंकों में लिखी गई दरों में अंतर की स्थिति में कम लिखी गई दरों को ही संस्थान द्वारा मान्य किये जाने हेतु सहमति देता हूँ/ देते हैं। मैं /हम निविदाकार मूल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित स्टेशनरी सामग्री को प्रदाय करने का वचन देते हैं/ देता हूँ तथा मैं/हम स्टेशनरी सामग्री को प्रदाय करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ/ लेते हैं।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता :-----

फर्म का नाम एवं पता :-----

फर्म का पेन नं :-----

मोबाईल क्रमांक :-----

स्थायी दूरभाष क्रमांक :-----

ई-मेल आईडी :-----

फैक्स क्रमांक :-----

जीएसटीएन क्रमांक :-----



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक: CS/20-21/16

दिनांक:

स्टेशनरी सामग्री निविदा की शर्तें

1. निविदा फार्म दिनांक 26.02.2021 को दोपहर 3:00 बजे तक संस्थान के वर्णित कार्यालय में जमा किये जावेंगे और इसके पश्चात कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा खुलने का दिनांक 26.02.2021 समय दोपहर 3:30 बजे निर्धारित है। यदि कोई शासकीय अवकाश या अन्य किसी कारण से कार्यालय बन्द रहता है तब दूसरे दिन उक्त समय पर ही निविदा खोली जावेगी।
2. निविदा दर स्वीकृत किये जाने के बाद अनुबंध किये जाने की तिथि से 12 माह की अवधि तक वैध होंगी।
3. निविदा की सम्पूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात ही सफल निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।
4. सफल निविदाकार को आदेशित सामग्री को निर्धारित तिथि के अन्दर स्वयं के व्यय पर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, मेला रोड, ग्वालियर को प्रदाय करना होगा।
5. माँगकर्ता अधिकारी के निर्देशानुसार स्टेशनरी सामग्री प्रदाय की जावेगी, इसमें किसी भी प्रकार के व्यवधान होने पर प्रदाय आदेश निरस्त समझा जावेगा।
6. प्रदायकर्ता द्वारा स्टेशनरी सामग्री प्रदाय किये जाने के बाद इसमें किसी प्रकार की टूटफूट अथवा खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को अबिलम्ब स्वयं के व्यय पर सामग्री वापिस ले जाना होगी तथा वापिस ले जाने के सात दिवस की अवधि में पुनः अच्छी स्थिति में सामग्री प्रदाय करनी होगी। संस्थान द्वारा ऐसी खराब सामग्री की सूचना दिये जाने की नियत अवधि के बाद निविदाकार द्वारा ऐसी सामग्री संस्थान में ही रखे रहने की स्थिति में ऐसी सामग्री की राशि के 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से अर्थदण्ड देयक की राशि में से कटौती किया जावेगा तथा जिसकी जबाबदारी स्वयं निविदाकार की होगी।
7. निविदा की वारण्टी अवधि के मध्य यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रदाय की गई स्टेशनरी सामग्री में किसी प्रकार की खराबी पाई जाती है, ऐसी स्थिति में निविदाकार को ऐसी प्रदाय की गई सामग्री को बदला/ सुधारा जाना आवश्यक होगा।
8. संस्थान के कुलपति महोदय को सम्पूर्ण निविदा या निविदा के किसी भी भाग को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
9. सफल निविदाकार को निविदा के स्वीकृत होने की दिनांक से दस दिन के अन्दर साढ़े सात प्रतिशत परफोरमेंस सिक्योरिटी / जमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में संस्थान में जमा कराना होगी। परफोरमेंस सिक्योरिटी/



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक: CS/20-21/16

दिनांक:

जमानत राशि निर्धारित तिथि तक जमा न किये जाने की स्थिति में ऐसे निविदाकार की निविदा निरस्त कर उसकी बयाना राशि /ईएमडी जप्त कर ली जावेगी। निविदा में वर्णित स्टेशनरी सामग्री की सूक्ष्म एवं लघु उद्योग निर्माता कम्पनी/फर्म को इस सम्बन्ध में विधिवत प्रमाण प्रस्तुत किये जाने तथा संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण को उचित पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार जमानत राशि /ईएमडी राशि जमा किये जाने की छूट प्रदान की जावेगी ।

10. सफल निविदाकार द्वारा संस्थान में जमा की गई परफोरमेंस सिक्योरिटी / जमानत राशि अनुबंधित निविदा की एक वर्ष की अवधि के व्यतीत होने के 60 दिवस बाद, समस्त अनुबंधित पालन जिसमें वारण्टी अवधि भी शामिल होगी, ऐसी स्थिति में वापिस की जावेगी जबकि निविदाकार द्वारा निविदा की स्वीकृत दरों की सामग्री की सम्पूर्ण सामग्री माँग अनुसार पूर्ति की गई हो तथा अनुबंध की समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया हो एवं संस्थान द्वारा किसी भी नियमों, विनियमों का अपालन का दोषी न माना गया हो ।
11. सफल निविदाकार को 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्टेशनरी सामग्री प्रदाय के विधिवत पालन के लिये अनुबन्ध करना होगा। बिना अनुबन्ध किये व जमानत राशि जमा कराये बिना निविदाकार संस्थान में स्टेशनरी सामग्री प्रदाय नहीं कर सकेगा ।
12. सफल निविदाकार की स्वीकृत दरें अनुबंध दिनांक से आगामी एक वर्ष तक मान्य रहेगी, इस दौरान संस्थान द्वारा स्टेशनरी सामग्री आवश्यकतानुसार माँगे जाने पर स्वीकृत निविदा दर पर सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
13. निविदा के साथ जीएसटीएन क्रमांक की छायाप्रति हस्ताक्षर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदा के साथ निविदाकार को स्वयं का मोबाइल क्रमांक, फर्म का स्थायी फोन नम्बर, फर्म का पिन कोड सहित पूरा पता, फर्म का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, पता, आईएफएससी कोड का संपूर्ण विवरण स्वयं हस्ताक्षर कर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
15. केवल वे ही निविदाकार निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस सामग्री में व्यापार करते हैं तथा स्टेशनरी सामग्री प्रदाय किये जाने हेतु कम्पनी/ फर्म का विधिवत पंजीकरण होना आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में समस्त वांछित दस्तावेज हस्ताक्षर किया जाकर एवं कम्पनी/फर्म की मुद्रा लगाई जाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
16. निविदाकार स्टेशनरी सामग्री की मूल निर्माता कम्पनी द्वारा निर्मित सामग्री ही संस्थान को प्रदाय करनी होगी ।



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर

(भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक -एफ.9-14/92-यू.3
दिनांक 21-09-1995 द्वारा यू.जी.सी. एक्ट 1956 की धारा 3 के अंतर्गत घोषित सम विश्वविद्यालय)

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

(Declared as Deemed University under Section 3 of the UGC Act, 1956 vide GOI, Ministry of HRD)

Notification No- F.9-14/92-U.3 dated 21-09-1995)

क्रमांक: CS/20-21/16

दिनांक:

17. संस्थान और निविदाकार के मध्य विवाद की स्थिति में कुलपति, ल.रा.शा.शि.संस्थान, ग्वालियर द्वारा एक मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा एवं मामला मध्यस्थ के समक्ष रखा जायेगा। मध्यस्थ द्वारा मामले पर दिया गया फैसला अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
18. निविदा के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई प्रार्थना प्राप्त निविदाकारों की निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
19. स्टेशनरी सामग्री प्रदाय किये जाने में निविदाकार अथवा उसके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण किसी स्टेशनरी सामग्री में खराबी आने की स्थिति में स्वयं निविदाकार जबाबदेही होगा तथा उसे अपने स्वयं के व्यय और जोखिम पर इसको पुनः अच्छी स्थिति की स्टेशनरी सामग्री प्रदाय करनी होगी।
20. निविदा की अवधि के दौरान किसी भी कानून/विनियमन इत्यादि के अधिनियमित होने पर निविदाकार किसी भी प्रकार के मुआवजे का अधिकारी नहीं होगा।
21. यदि निविदाकार निविदा की अवधि के मध्य निविदा ठेका वापिस लेता है अथवा संस्थान के अनुसार कार्य निष्पादित करने में असफल रहता है तब संस्थान धरोहर राशि और/अथवा प्रदर्शन गारण्टी, यथास्थिति, निविदा रद्द करने संबंधी 01 माह की लिखित सूचना देकर राजसात करने के लिये प्राधिकृत है इसके अतिरिक्त संस्थान के पास निविदाकार को ब्लैकलिस्ट करने का भी अधिकार होगा।
22. निविदाकार अथवा उनके कर्मचारी द्वारा संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं के साथ विनम्र एवं शिष्टतापूर्वक व्यवहार अपेक्षित है तथा उनके द्वारा संस्थान परिसर में किसी प्रकार का धूम्रपान किया जाना पूर्णरूप से निषेधित है। निविदाकार/निविदाकारों द्वारा संस्थान की स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखा जावेगा।
23. सफल निविदाकार द्वारा कार्यादेश प्रदाय किये जाने के 07 दिवस (सात दिवस) की अवधि के अन्दर स्टेशनरी सामग्री प्रदाय करना होगी। ऐसा न किया जाने की स्थिति में ऐसे कार्य आदेश की 0.5 प्रतिशत राशि प्रति सप्ताह की दर से प्रस्तुत देयक से कटौती किया जावेगा तथा ऐसे कटौती की जाने वाली राशि कुल स्वीकृत निविदा की राशि की 10 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी।
24. सफल निविदाकार को भुगतान के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले देयकों में कम्पनी/फर्म का पूरा नाम, पता, स्थायी मोबाइल क्रमांक, स्थायी दूरभाष क्रमांक, कैं./फर्म का जीएसटी क्रमांक, फर्म का पेन नम्बर, भुगतान की जाने वाली बैंक का खाता क्रमांक, बैंक का नाम, बैंक का पता, आईएफएससी कोड तथा देयक के ऊपरी भाग पर ल.रा.शा.शि. सं., ग्वालियर का, जीएसटी क्रमांक स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है।
25. सम्पूर्ण विवादों का न्यायाधिकार तथा विचाराधिकार क्षेत्र ग्वालियर रहेगा।

र.स. साजवान
28/01/2021
(प्रोफेसर ए. एस. साजवान)
प्रभारी कुलसचिव